



मध्यप्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 – अध्ययन एवं विश्लेषण

डॉ. मीना कीर

सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस

शा. नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का योगदान 54 प्रतिशत है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 16 प्रतिशत बना हुआ है। नीति आयोग के दस्तावेज “नये भारत के लिये रणनीति” में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव दिये गये हैं, जिनमें विनियामक अनिश्चितता, निवेश, प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ ही व्यापार करने में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का उल्लेख किया गया है। नीति आयोग के दस्तावेज और केन्द्र सरकार की मंशा के अनुरूप मध्यप्रदेश में भी नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 (औद्योगिक विकास और निवेश) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में नवीन उद्योगों के प्रति लोगों को जागरूक करना, विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों के लिये उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 का समग्र विश्लेषण करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी –

मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदम, नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के मुख्य घटक एवं नीति का विश्लेषण।

प्रस्तावना –

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के योजनाकारों द्वारा कृषि को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती रही है। एक विकासशील देश होने के नाते देश के सर्वांगीण विकास हेतु कृषि के साथ-साथ औद्योगिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। विगत वर्षों में यह

दृष्टव्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था पम्परागत औद्योगिक विकास की मुख्य धारा से अलग होकर कृषि आधारित सेवाओं द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित होती जा रही है, जहाँ बड़े पैमाने पर श्रम को अवशोषित करने की क्षमता के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि न के बराबर है।

मध्य प्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 की आवश्यकता –

मध्य प्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 का विश्लेषण करने से पूर्व भारत की औद्योगिक नीति 2023 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान और विनिर्माण क्षेत्र का कम होता योगदान चिंतन का विषय था। भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 49 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान केवल 15 प्रतिशत है। वर्ष 1991 से वर्ष 2021 के बीच औद्योगिक रोजगार की भागीदारी 15 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई है।

उपरोक्त संदर्भ में, औद्योगिक नीति 2023 के बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और बिजली जैसे क्षेत्रों में लिंकेज सहित समग्र सुधार लाकर विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक मार्ग प्रदान करने की आवश्यकता अनुभव की गई। विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कोर और सेमी-कोर एनेबलर्स के संयोजन की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी। नीति आयोग के दस्तावेज “नये भारत के लिये रणनीति” में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिये कई सुझाव दिये गये, जिनमें विनियामक अनिश्चितता, निवेश, प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ-साथ व्यापार करने में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का उल्लेख किया गया। इन्हीं सुझावों के रूप में मध्य प्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 अस्तित्व में आई।

मध्यप्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 को अस्तित्व में लाने का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक हब बनाना और वर्ष 2030 तक जीडीपी में उद्योगों के योगदान को बढ़ाकर 6 लाख करोड़ करना है। यह नीति “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस”, एकल खिड़की प्रणाली, सब्सिडी, और ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मा व आईटी जैसे क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार सृजन पर केन्द्रित है।

मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के प्रमुख उद्देश्य –

मध्यप्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 (औद्योगिक विकास और निवेश) का मुख्य उद्देश्य राज्य को प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाना है। मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र में योगदान में वृद्धि हेतु नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 (औद्योगिक विकास और निवेश) का क्रियान्वयन विभिन्न पहलुओं के माध्यम से किया जा रहा है। यह नीति “मेड इन मध्यप्रदेश” ब्रांड को बढ़ावा देने, 40 प्रतिशत तक निवेश सहायता, एकल खिड़की प्रणाली, विस्तृत लैंड बैंक और 2028–29 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उद्योग का योगदान दोगुना करने पर केन्द्रित है।

मध्य प्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 का लक्ष्य –

मध्यप्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ-साथ मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई) को भी प्रोत्साहित करती है। इस नीति के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2.9 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2028–29 तक बढ़ाकर 5.4–5.9 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के प्रमुख घटक –

1. मध्य प्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 में ऑटोमोबाइल, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, आईटी और नवीकरणीय ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
2. नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 में निवेश प्रोत्साहन और रियायतों के रूप में नए औद्योगिक क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक सब्सिडी और अनुसूचित जाति-जनजाति व महिला उद्यमियों के लिए 48 प्रतिशत तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।
3. नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अंतर्गत अवसंरचना विकास में 48,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का लैंड बैंक और लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
4. नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को अचल सम्पत्ति में निवेश पर विशेष सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
5. व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने हेतु सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से निवेश को सुगम बनाने के लिए 18 नई उद्योग-अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं।
6. रोजगार और विकास को ध्यान में रखते हुए नीति के अंतर्गत युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना के अंतर्गत स्थानीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
7. नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 को क्रियान्वित करने के लिये औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एमपीआईडीसी) को औद्योगिक भूमि और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
8. देश की निर्यात नीति 2025 को दृष्टिगत रखते हुए “मेड इन एमपी” उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 में विशेष प्रावधान किया गया है।
9. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में फिल्म उद्योग के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

10. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं द्वारा स्थापित इकाइयों को विशेष रियायतें प्रदान की गई हैं।

मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 को लागू करने हेतु कार्य योजना –

मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 को लागू करने हेतु एक रणनीति तैयार की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न बिन्दुओं का समावेश किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा “ब्रांड एमपी” अर्थात् मध्यप्रदेश में बने हुए उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें स्थापित करने हेतु आवश्यक उपाय किये जाएंगे तथा ऑनलाइन पोर्टल तथा आईपी कार्यक्रमों के माध्यम से मध्यप्रदेश में बने हुए उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त

मध्य प्रदेश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, निवेशक शिखर सम्मेलनों और सम्मेलनों में भाग लिया जायेगा तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम “ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट” (जीआईएस) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किये जाएंगे।

निष्कर्ष –

औद्योगिक दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में अग्रणी है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों के लिए एक प्रगतिशील नीतिगत ढांचा और अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार किया है। मध्यप्रदेश में 18 नई उद्योग-अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं, जिनमें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 का लक्ष्य राज्य की जीडीपी में उद्योगों का योगदान जो 2023-24 में 2.9 लाख करोड़ था, उसे 2028-29 तक 5.4-5.9 लाख करोड़ तक पहुँचाना है। इसके लिये नीति के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, आईटी, आईटीईएस, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स आदि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों को मध्य प्रदेश सरकार के वेब पोर्टल के साथ-साथ विभागीय वेबसाइटों के माध्यम से भी प्रचारित किये जाने, रोड शो आयोजित करके प्रचार-प्रसार करने, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने तथा इसमें भाग लेने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के लिए कई व्यावसायिक अवसर प्रदान करने से निश्चित ही मध्यप्रदेश में बने हुए उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। भविष्य में मध्यप्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 ‘मेड इन एमपी’ उत्पादों को बढ़ावा देकर राज्य को आत्मनिर्भर और वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी।

संदर्भ –

1. वार्षिक प्रतिवेदन, 2025–26, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
2. वार्षिक प्रतिवेदन, 2025–26, जन सम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
3. मध्यप्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, 2025–26
4. ड्राफ्ट, मध्यप्रदेश की नवीन औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025

